

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची 1/IIA के ग्रुप डी-1A में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-1A) पे-मेट्रिस में लेवल-16 में वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक(मुख्य एवं रिज्यू) की कार्यवाही में की गई अनुशंसाओं के आधार पर कार्मिकों का चयन किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था-एबी/बी-1A/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2019-20 (नियमित) दिनांक:- 24.05.2019 द्वारा चयन किये जाने पर इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.09.2020 द्वारा निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पदस्थापित किया जाकर इन्हे दिनांक:- 24.09.2020 तक पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण हेतु पाबन्द किया गया था:-

कसं	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	जन्म तिथि	जाति वर्ग	पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान (राउमावि)
1	1008/13-14	MAHVEER PRASAD	26-10-1977	gen	GOVT SE.SCHOOL BARDASAR - SARDARSHAHAR CHURU	GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL, AAKDALI DHANSINGH, BLOTRA BARMER

लेकिन कार्मिक की ड्यूटी चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्ति होने के फलस्वरूप निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं कर पाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देते हुए कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि चाही गई। फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश दिनांक 23.10.2020 द्वारा इन्हे दिनांक 03.11.2020 तक कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई। लेकिन पदोन्नति पर कार्यग्रहण अभिवृद्धि के उपरांत भी श्री महावीर प्रसाद, प्रधानाध्यापक द्वारा पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इनका पदोन्नति परित्याग एतद् द्वारा जारी किया जाता है।


(सौरभ स्वामी)


I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 15 मार्च, 2021

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45002/डीपीसी/19-20/पदस्थापन/2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

01. शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल।
05. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) समस्त।
06. संबंधित संस्था प्रधान।
07. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि उक्त पदोन्नति परित्याग का इन्द्राज सेवा पुस्तिका में करवाये जाने के साथ-2 शाला दर्पण पर भी आवश्यक रूप से पूर्ति करें।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/प्रभारी बी-3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर